



## अनलॉक 2.0

चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां  
फिर से शुरू करने हेतु दिशा-निर्देश

# इन गतिविधियों को अनुमति नहीं



स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान **31 जुलाई, 2020**  
तक बंद रहेंगे



गृह मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति को छोड़कर **यात्रियों की**  
**अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा**



**मेट्रो रेल**



**सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर,**  
**बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान**



**सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृति**  
**क/धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े जनसमूह वाले कार्यक्रम**



## अनलॉक 2.0

चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां  
फिर से शुरू करने हेतु दिशा-निर्देश

## इन गतिविधियों को अनुमति

\*कंटेनमेंट जोन के बाहर



केंद्र व राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से कामकाज की अनुमति, इसके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा



घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को सीमित व उचित तरीके से बढ़ाया जाएगा



ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जाता रहेगा



व्यक्तियों और वस्तुओं की इंटर-स्टेट और इंट्रा स्टेट आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी



## अनलॉक 2.0

चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां  
फिर से शुरू करने हेतु दिशा-निर्देश



## रात्रि का कर्फ्यू



आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर देश भर में रात 10 बजे से 5.00 बजे के बीच **व्यक्तियों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा**



**आवश्यक गतिविधियों समेत औद्योगिक इकाइयों का संचालन**, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लोगों और माल की आवाजाही, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग और बसों, ट्रेनों व हवाई जहाज से उतरने के बाद गंतव्य तक व्यक्तियों की यात्रा को अनुमति



स्थानीय अधिकारियों को **सीआरपीसी की धारा 144** के तहत आदेश जारी कर सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा



## अनलॉक 2.0

चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां  
फिर से शुरू करने हेतु दिशा-निर्देश



## कंटेनमेंट ज़ोन तक सीमित रहेगा लॉकडाउन (1/2)



**कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 31 जुलाई, 2020 तक  
लागू रहेगा**



जिले के अधिकारियों द्वारा **कंटेनमेंट ज़ोन का सीमांकन  
किया जाएगा** और इसे वेबसाइटों पर अधिसूचित किया  
जाएगा



चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर और आवश्यक  
वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखते हुए इन क्षेत्रों  
में या **इनके बाहर लोगों की कोई आवाजाही नहीं होगी**



**गहन संपर्क ट्रेसिंग, घर-घर निगरानी और जरूरत पड़ने  
पर अन्य नैदानिक उपाय किए किए जाएंगे**



## अनलॉक 2.0

चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां  
फिर से शुरू करने हेतु दिशा-निर्देश

कंटेनमेंट ज़ोन तक  
सीमित रहेगा लाकडाउन  
(2/2)



राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सभी गतिविधियों की **सख्ती**  
**से निगरानी और रोकथाम उपायों** से संबंधित दिशानिर्देशों  
को सख्ती से लागू किया जाएगा

---



राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा **कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर बफर**  
**ज़ोन की पहचान की जाएगी**, जहां नए मामले आने की  
ज्यादा आशंका हो

---



राज्य/संघ शासित क्षेत्र **कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर कुछ**  
**गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं**, या आवश्यक  
समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं

---



## अनलॉक 2.0

चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां  
फिर से शुरू करने हेतु दिशा-निर्देश



# एसओपी के अनुसार व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति



पैसेंजर ट्रेनों और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों द्वारा आवाजाही



घरेलू यात्रियों की हवाई यात्रा



देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों और विदेश यात्रा  
के लिए निर्दिष्ट व्यक्तियों की आवाजाही



विदेशी नागरिकों की वापसी



भारतीय नाविकों का काम पर जाना और काम से लौटना



## अनलॉक 2.0

चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां  
फिर से शुरू करने हेतु दिशा-निर्देश

# कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा



65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, पहले से  
बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से  
कम आयु के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी  
गई है

---



आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर

---



## अनलॉक 2.0

चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां  
फिर से शुरू करने हेतु दिशा-निर्देश

# आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग



आरोग्य सेतु संक्रमण के **संभावित जोखिम की जल्द पहचान में सक्षम बनाता है** और यह व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक कवच का काम करता है



कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा हेतु नियोक्ता को सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के आधार पर सुनिश्चित करना चाहिए कि **सभी कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु इंस्टॉल किया जाए**



जिला अधिकारी व्यक्तियों को **आरोग्य सेतु इंस्टॉल करने** और नियमित रूप से इस ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दे सकते हैं



# अनलॉक 2.0

चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां  
फिर से शुरू करने हेतु दिशा-निर्देश

## दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा



**राज्य / संघ शासित क्षेत्र किसी भी प्रकार से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी दिशा-निर्देशों को कमजोर नहीं करेंगे**

---



**सभी जिला मजिस्ट्रेट अनलॉक 2.0 के उपायों को सख्ती से लागू करेंगे**

---



**इन नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई का पात्र होगा**


---



# अनलॉक 2.0

चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां  
फिर से शुरू करने हेतु दिशा-निर्देश

## कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (1/2)



सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर और परिवहन के  
दौरान **फेस कवर पहनना अनिवार्य है**



सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को **न्यूनतम 6 फीट (2 गज) की दूरी** बनाए रखनी चाहिए




दुकानों में ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित  
करनी होगी



## अनलॉक 2.0

चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां  
फिर से शुरू करने हेतु दिशा-निर्देश



# कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (2/2)



**बड़ी सार्वजनिक सभाओं/समारोहों पर पाबंदियां अभी जारी रहेंगी**

- **विवाह संबंधी समारोहों :**  
मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं
- **दाह संस्कार / अंतिम संस्कार संबंधित समारोह :**  
लोगों की संख्या 20 से अधिक नहीं



**सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुमनि के साथ दंडनीय होगा,** जिसका निर्धारण राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपने कानूनों, नियमों या नियमनों के अनुसार किया जा सकता है




**सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है**



# अनलॉक 2.0

चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां  
फिर से शुरू करने हेतु दिशा-निर्देश

## कार्यस्थलों के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश



जहां तक संभव हो **वर्क फ्रॉम होम (WFH) का विकल्प** अपनाया जाना चाहिए



कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कामकाज / व्यवसाय के लिए **दो शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल** रखा जाएगा



सभी प्रवेश और निकास स्थानों और कॉमन एरिया में **थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइज़र की व्यवस्था** की जाएगी



संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाएं और दरवाज़े के हैंडल आदि जैसी चीजों को **बार-बार सैनिटाइज़ किया जाना चाहिए**



कार्यस्थलों के सभी प्रभारी **कामगारों के बीच पर्याप्त दूरी**, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, अलग-अलग समय पर लंच ब्रेक आदि सुनिश्चित करेंगे